

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार
मकसूदन सिंह पिता सोमान को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के कोई भी व्यक्ति नहीं है द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम पाकखेड़ा खाता नं० 62 रकबा 1.36 रु वर्ष X का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त
अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार खेसरा संख्या दर्ज नहीं है है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मकसूदन सिंह सोमान सिंह ग्राम - पाकखेड़ा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मीजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>पाकखेड़ा</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>-</u>	<u>1.36</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
 अंचल अधिकारी,
 बोकारो

अंचल अधिकारी,
 बोकारो